भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2996

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में एफएचटीसी वाले ग्रामीण परिवार

†2996. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्थानीय स्व-शासन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ साझेदारी से पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केरल में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जून 2024 की स्थिति के अनुसार 3,461 करोड़ रुपये के ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे स्थानीय निकायों के लिए विशेष राजकोषीय छूटों को मंजूरी देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं,

(ग) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता पर कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वच्छता और जल सेवाओं के लिए आवंटित बुनियादी अनुदानों में से राज्यों द्वारा अप्रयुक्त रह गई धनराशि राज्य-वार कितनी है, और

(ड.) गंभीर पेयजल किल्लत का सामना कर रहे शेष ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा क्या समय-सीमा प्रत्याशित है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क), (ख) और (ङ) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जेजेएम-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जेजेएम को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल किया गया है। मिशन का कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

जेजेएम की घोषणा के समय, केरल राज्य में केवल 16.64 लाख (23.52%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 18.07.2026 तक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 22.38 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, राज्य के 70.76 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 39.02 लाख (55.14%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, केरल राज्य सरकार को जेजेएम 2.0 के तहत 4,401.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

(ग) विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में पानी प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवारों के जल नमूने बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवारों के जल नमूने आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

(घ) पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने एक अंतरिम रिपोर्ट (2020-21) और एक अंतिम रिपोर्ट (2021-26) प्रस्तुत की। इसने 2021-26 के दौरान 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की, जिसमें पांचवीं और छठी अनुसूची और अपवर्जित क्षेत्र शामिल हैं। इसमें से 60% (1.42 लाख करोड़ रुपये) पेयजल (वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण सहित) और स्वच्छता/ओडीएफ स्थिति के रखरखाव के लिए सशर्त अनुदान के रूप में निर्धारित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक को 0.71 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अनुदान निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर जारी किए जाते हैं और इसका उपयोग केवल जल और स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जाना है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, सशर्त अनुदानों के आवंटन का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 30,375 करोड़ रुपये की पूरी राशि राज्यों को जारी की गई थी, जबकि 2021-26 की अवधि के लिए, राज्यों को आवंटित 1.42 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये (लगभग 94%) राज्यों को जारी किए गए हैं। वित्त आयोग की अवधि 31.03.2026 को समाप्त हो गई है, इसलिए, पंद्रहवें वित्त आयोग समयावधि के पूरा होने के साथ राज्यों की लंबित राशि व्यपगत हो गई है।

अनुबंध

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2996 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत आवंटित सशर्त अनुदानों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
		आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	1,312.5	1,163.40	1,206	1,218.6	1,291.2	1,259.4
2	अरुणाचल प्रदेश	115.5	102	106.2	107.4	113.4	111
3	असम	802	711.6	736.8	744.6	789	769.8
4	बिहार	2,509	2,225.40	2,305.2	2,330.4	2,468.4	2,407.2
5	छत्तीसगढ़	727	645	668.4	675	715.2	697.8
6	गोवा	37.5	33	34.2	34.8	37.2	36.6
7	गुजरात	1,597.5	1,417.20	1,467.6	1,483.8	1,571.4	1,533
8	हरियाणा	632	561	580.8	587.4	621.6	606.6
9	हिमाचल प्रदेश	214.5	190.2	197.4	199.2	211.2	205.8
10	झारखंड	844.5	749.4	775.8	784.2	831	810.6
11	कर्नाटक	1,608.5	1,426.20	1,477.8	1494	1,582.2	1,543.2
12	केरल	814	721.8	747.6	756	800.4	780.6
13	मध्य प्रदेश	1992	1,766.40	1830	1,849.8	1959	1911
14	महाराष्ट्र	2,913.5	2,584.20	2,676.6	2,706	2,865.6	2,795.4
15	मणिपुर	88.5	78.6	81	82.2	87	85.2
16	मेघालय	91	81	84	84.6	89.4	87.6
17	मिजोरम	46.5	41.4	42.6	43.2	45.6	44.4
18	नागालैंड	62.5	55.2	57.6	58.2	61.2	59.4
19	ओडिशा	1,129	1,001.40	1,036.8	1,048.2	1,110.6	1,083
20	पंजाब	694	615.6	637.2	644.4	682.8	666
21	राजस्थान	1,931	1,712.40	1,774.2	1,793.4	1,899.6	1,852.2
22	सिक्किम	21	18.6	19.8	19.8	21	19.8
23	तमिलनाडु	1,803.5	1,599.60	1,656.6	1,674.6	1,774.2	1,730.4
24	तेलंगाना	923.5	819	849	858	908.4	886.2
25	त्रिपुरा	95.5	84.6	88.2	88.8	94.2	91.8
26	उत्तर प्रदेश	4,876	4,324.80	4,479.6	4,528.2	4,796.4	4,678.2
27	उत्तराखंड	287	255	264	267	282.6	274.8
28	पश्चिम बंगाल	2,206	1,956.60	2,026.8	2,049	2,170.2	2,116.8
	कुल	**30,375**	**26,940.60**	**27,907.8**	**28,210.8**	**29,880**	**29,143.8**